अपील सूचना अधिकार संख्या 137/2020 (GCMS 2020/00232) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम), श्रीगंगानगर

08.02.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 25.06.2020 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो लोकसूचना अधिकारी ने उसे समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उस पर 25000/– शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.06.2020 के द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम), श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

> लोक सभा चूनाव के दौरान "बूथ लेबल अधिकारी बी.एल.ओ. अपने पैतृक कार्यालय द्वारा सौपें गये मूल पद के दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे तथा सामान्य तौर पर अपने प्रशासनिक विभाग के नियत्रंण में रहेगें"
>
> 1. "पैतृक कार्यालय द्वारा सौपें गये मूल पद के दायित्वों का निर्वहन करते रहेगें" में जिन कार्य का निर्वहन बी.एल.ओ. को करना होता है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
> 2. सामान्य तौर पर अपने प्रशासनिक विभाग के नियत्रंण में रहेगें प्रशासनिक अधिकारी अपने नियत्रांधीन कार्यरत कर्मकारो को लोकसभा चुनाव में कार्यरत कर्मकार को मुख्यालय छोडने सम्बन्धी स्वीकृती जारी करने की सूचना व निर्वाचन विभाग द्वारा जारी इस सम्बन्ध में सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 1200 दिनांक 18.09.2020 से अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत चाही गई सूचना निम्नानुसार है:

1. बिन्दु संख्या 1 के सम्बन्ध में बीएलओ द्वारा किये जाने वाले कार्यो का वर्णन निर्वाचन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट ceorajasthan.nic.in / eci.gov.in पर उपलब्ध है।
2. बिन्दु संख्या 2 के सम्बन्ध में सूचना का अधिकारी अधिनिमय 2005 की धारा 2(एफ) क अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पंहुच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों मे उपलब्ध हो एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नही होनी चाहिए। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। अतः आप कार्यालय दिवस/कार्यालय समय में इस कार्यालय में उपस्थित होकर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर वांछित सूचना को चिन्हित कर लिखित रूप में अवगत करवावें कि आपको किस नियम क्रमांक/दिनांक, परिपत्र क्रमांक/दिनांक की आवश्यकता है ताकि नियमानुसार आपको उसकी प्रति उपलब्ध करवायी जा सके।

-sd-
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना किसी निश्चित अभिलेख की न होकर प्रश्नात्मक रूप से है और लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचनाओं के सम्बन्ध में दिया गया उत्तर सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर